रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 5 अगस्त, 1987/14 श्रावण, 1909

### हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जुलाई, 1987

संख्या भाषा-ए(3)-3/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का 18) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना सं० ए(3)-3/85, तारीख 24-1-1986 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास नियम, 1984, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप संशोधन नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और ये उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों से, जिनकी इनसे प्रभावित होने की संभावना है इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. सरकार प्रस्तावित प्रारूप-संशोधन नियमावली को अन्तिम रूप देने से पूर्व उक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार करेगी ।

3. आक्षेप एवं सुझाव यदि कोई हों, सचिव, भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को भेजे जायेंगे ।

1560-राजपत्र/87-5-8-87—1,219.



मूल्य: 20 पैसे।

## संशोधन

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में है ।

(3) ये तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2. नियम 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास नियम, 1984 के नियम 3 की पांचवीं पंक्ति में आए शब्द "किन्तु" के लिए "वित्त" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा और कोष्ठ तथा शब्दों "(स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग)" का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

---

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू जिला, कुल्लू

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 22 जुलाई, 1987

संख्या पी0सी0एच0(कु0)-क(1)-4/79.—उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (बी) के अधीन प्रदत्त हैं, मैं, वी0 के0 भटनागर, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, श्री अनूप राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कराड़, विकास खण्ड आनी द्वारा उप-प्रधान पद से दिये गये त्याग-पत्र को स्वीकार करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि यदि उन के पास पंचायत सम्बन्धी कोई सम्पत्ति हो तो वे उसे तुरन्त सचिव ग्राम पंचायत को सौंप देवें ।

वी0 के0 भटनागर,
उपायुक्त, कुल्लू जिला, कुल्लू ।

---

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी

आदेश

मण्डी, 27 जुलाई, 1987

विषय:—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस ।

संख्या पी0 सी0 एन0-मण्डी-ए (6) 7/79.—यतः सहायक आयुक्त (विकास) खण्ड विकास, धर्मपुर द्वारा दिनांक 24-6-1987 को ग्राम पंचायत तनियार, खण्ड विकास धर्मपुर, जिला मण्डी, किये गये निरीक्षण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दलीप सिंह निराला प्रधान ने जो अनुदान की राशि विकास खण्ड अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय से निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त की उस का दुरनिवियोजन किया है जिस को

ब्योरा निम्न प्रकार दिया जाता है:—

1. यह कि श्री दलीप सिंह निराला, प्रधान, ग्राम पंचायत तनियार ने पंचायत में संधारित कैश बुक के इन्द्राज दिनांक 6-6-87 के अनुसार मु0 52,045.00 रुपये अनियमित रूप से अपने पास पंचायत का नकद शेष रखा है जब कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) वित्त नियमावली 1975 के नियम 8 के अन्तर्गत केवल पंचायत सचिव ही मु0 250.00 रुपये का नकद शेष रखने को अधिकृत है।

2. और यह कि दिनांक 24-12-86 को मु0 10,000.00 रुपये, 5-7-86 को मु0 15,000.00 रुपए तथा 5-11-1986 को मु0 15,000.00 रुपये पंचायत के बचत लेखा जमा अनुदान हियून गलू स्कूल भवन के निर्माण हेतु उक्त प्रधान ने निकाले परन्तु उसने इन राशियों का पंचायत को कोई हिसाब नहीं दिया।

3. और यह कि 100 बैग सीमेंट स्कूल भवन निर्माण हेतु खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर से प्राप्त किया परन्तु उक्त सीमेंट का कोई हिसाब पंचायत को नहीं दिया।

4. और यह कि उक्त प्रधान ने खाती सघोटी-I के लिए दिनांक 29-3-86 को रुपये 2,000.00, 8-9-86 को रुपये 3,000.00 तथा 22-9-86 को रुपये 320.00 पंचायत के बचत खाते से प्राप्त किये हैं परन्तु पंचायत को अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया।

5. और यह कि प्रधान ने 5 क्विंटल अनाज खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त किया है जिस का कोई हिसाब किताब नहीं पाया गया।

6. और इसी प्रकार खाता सघोटी-II के निर्माण हेतु मु0 रु0 2,000.00 दिनांक 31-3-86, 13-5-86 मु0 रु0 2,000.00, दिनांक 20-3-86, 9-4-86 तथा मु0 725.00, दिनांक, 22-9-86, 22-10-86 को अनुदान प्राप्त हुआ है परन्तु इन राशियों का कोई हिसाब नहीं रखा है। । इसी प्रकार 10 क्विंटल अनाज प्राप्त किया है परन्तु कोई हिसाब नहीं दिया।

7. और यह कि बल्ह खाती निर्माण हेतु रु0 1,500.00 खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त किये परन्तु कोई हिसाब नहीं रखा है।

और यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त श्री दलीप सिंह प्रधान ग्राम पंचायत तनियार, ने सभा निधि का दुरुपयोग/छलहरण किया है और वह अनाचार एवं अपने कर्तव्यों को नियमानुसार न निभाने के दोषी हैं।

अतः मैं, पी0 सी0 कपूर, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) [पठित अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 बी (2)-19/76, दिनांक 15-1-82] के अन्तर्गत प्राप्त है श्री दलीप सिंह निराला, प्रधान, ग्राम पंचायत तनियार, खण्ड विकास धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें उन के पद से निलम्बित किया जाए। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित राशि तथा अन्य हिसाब पंचायत में जमा कराएं। उन का उत्तर इस नोटिस के जारी होने से एक पक्ष के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

पी0 सी0 कपूर,
अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी।

---

## नगर एवम् ग्राम योजना विभाग

### नाहन प्लानिंग एरिया में भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नाहन योजना क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र

को हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (क्रमांक 12 सन् 1977) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उस की एक प्रति निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, यू0 एस0 क्लब, शिमला-1 एवम् सहायक नगर एवम् ग्राम योजनाकार, नाहन के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है ।

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो लिखित रूप में निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्राम योजना विभाग को व सहायक नगर एवम् ग्राम योजनाकार, नाहन को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में सूचना की प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर भेजे जाने चाहिए ।

इससे पहले कि भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र को हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्रामीण योजना अधिनियम, 1977 की धारा 15 की उप-धारा 3 के अधीन अपनाया जाये । भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी उक्त मानचित्र के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व प्राप्त हो, निदेशक द्वारा विचार किया जायेगा।

हस्ताक्षरित/-,
निदेशक,
नगर एवम् ग्राम योजना विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001।

स्थान : शिमला ।
दिनांक : 8-7-1987.

---

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### Notice of Publication of Existing Landuse Map for Nahan Planning Area

Notice is hereby given that existing landuse map of Nahan Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) as amended and copy thereof is available for inspection during office hours in the office of Director, Town and Country Planning Department, U. S. Club, Shimla-1 and Sub-Divisional Town Planning Office at Nahan.

If there is any objection or suggestion with respect to the existing landuse map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh or to Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Nahan within a period of 30 days from the date of publication of this notice in Rajpatra, Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said landuse map before the period specified above will be considered by the Director before existing landuse in adopted under sub-section 3 of Section 15 of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977.

Sd/-
*Director,*
*Town and Country Planning Department,*
*Himachal Pradesh Shimla-171001.*

Place : Shimla.
Dated: 8-7-1987.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।